

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,  
( स्थापना-राजपत्रित अनुभाग )  
लखनऊ:: दिनांक:: 29 सितम्बर, 2011

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,  
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर सेवा संघ ने अपने पत्र दिनांक 24.08.2011 द्वारा यह अवगत कराया है कि उनके प्रान्तीय सेवा संघ की 46वीं वार्षिक महासभा दिनांक 14.10.2011 एवं 15.10.2011 को उत्तर प्रदेश गन्ना संस्थान आडीटोरियम डालीबाग, लखनऊ में आयोजित होना निश्चित हुआ है। संघ द्वारा इस वार्षिक महासभा के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसके क्रम में निर्णय लिया गया है कि संघ के उक्त वार्षिक महासभा में सम्मिलित होने के इच्छुक सदस्यों (अधिकारियों जो इस संघ के घोषित सदस्य हैं) को 02 दिन अर्थात् दिनांक 14.10.2011 एवं 15.10.2011 के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर उन्हें उक्त आवेदित अवकाश स्वीकृत करने के साथ-साथ उन्हें स्टेशन छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाये।

2- संघ के ऐसे सदस्यों को जो सेवा से निलम्बित अथवा निष्कासित हैं अथवा अब उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर सेवा संघ के सदस्य नहीं रह गये हैं, को उपर्युक्त अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। उक्त अवकाश स्वीकृत करने में यह ध्यान रखा जाये कि इन अवधियों में अवकाश के कारण राजकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न न हो।

3- इस आशय की सूचना अपने जोन में कार्यरत एसोसियेशन के पदाधिकारियों एवं सदस्य अधिकारियों को देने के साथ ही इसकी प्रति अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवा दें।

ह/0-  
26-9-2011

( अनिल संत )

कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठकन पत्र संख्या व दिनांक-उक्त।

प्रतिमिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त कर एवं निबंधन विभाग, 30प्र0 शासन, सचिवालय, लखनऊ।
2. अध्यक्ष/ महासचिव, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर सेवा संघ-07, डालीबाग, लखनऊ।
3. अपर निदेशक (प्रशिक्षण), कर प्रबन्धन एवं शोध संस्थान, गोमती नगर लखनऊ।
4. एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ग्रेड-2 (उच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर, इलाहाबाद / लखनऊ।
5. समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
6. ज्वाइंट कमिश्नर ( सर्वोच्च न्यायालय कार्य ) वाणिज्य कर, गाजियाबाद।
7. ज्वाइंट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु।
8. समस्त ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
9. संयुक्त निदेशक, राजस्व एवं विशिष्ट अभिसूचना, उत्तर प्रदेश शासन।
10. समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
11. समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
12. मैनुअल / सेन्ट्रल रिकार्ड, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
13. स्था-1, पटल को 10 अतिरिक्त प्रतियाँ।

( जी0 एस0 बुधियाल )

ज्वाइंट कमिश्नर (स्थापना) वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।